

डिक्री मुकदमा  
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक  
अदालत केम्प बूढादीत

उनवान

चांद कंवर पुत्री सूरज सिंह पत्नी गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगंज  
तहसील दीगोद हाल नई बस्ती गांवडा तहसील सरवाड जिला अजमेर

--वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

--प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर- 103/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.  
बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म  
दिया जाता है कि " वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम  
किशनगंज तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 145/552, 151, 216, 221, 270, 326, 459 कुल  
किता 7 रकबा 8.04 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम चंदाबाई पुत्री सूरजसिंह  
के स्थान पर चंदा बाई उर्फ चांद कंवर पुत्री सूरजसिंह एवं ग्राम बडोद तहसील दीगोद स्थित  
ख0नं0 200 रकबा 3.80 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम चतरबाई पुत्री सूरजसिंह  
के स्थान पर चतरबाई उर्फ चांद कंवर पुत्री सूरजसिंह दर्ज किया जावें।" तदनुसार अन्तिम  
डिक्री लोक अदालत केम्प बूढादीत में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

  
(तारामती वैष्णव)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद